



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन भवन, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833201

Ph. 06582-256366, Mob. – 8987790364, E-mail:- sarandadfo@gmail.com, dfo-saranda@gov.in



जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली

कार्यालय आदेश संख्या:- 52

चाईबासा/दिनांक:- 10-08-2026

सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता NWPC-2023 के तहत इस वन प्रमण्डल का कार्य योजना (वर्किंग प्लान) तैयार करने हेतु योजना अवधि के लिए कनीय अनुसंधान सहायक (JRF), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (SRF) एवं Experienced Technical Trainer- cum- Field Team Leader पद के लिए दिनांक 06.08.2026 को Walk in Interview के आधार पर संविदा/अस्थायी संलग्नीकरण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। चयनित योग्य उम्मीदवारों की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पद का नाम	चयनित उम्मीदवार का नाम	मानदेय प्रतिमाह (रुपये)	अभ्युक्ति
1	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (SRF)	श्री राज कुमार	35000 /—प्रतिमाह	
2	कनीय अनुसंधान सहायक (JRF)	श्री गणेश सिंह कुटिया	30000 /—प्रतिमाह	
3	कनीय अनुसंधान सहायक (JRF)	श्री सतीश कुमार	30000 /—प्रतिमाह	
4	Technical Trainer- cum- Field Team Leader	श्री तुषार कुमार	30000 /—प्रतिमाह	
5	Technical Trainer- cum- Field Team Leader	श्री हिमांशु बोयपाई	30000 /—प्रतिमाह	
6	Technical Trainer- cum- Field Team Leader	श्री अभिजीत पाट पिंगुवा	30000 /—प्रतिमाह	
7	Technical Trainer- cum- Field Team Leader	सुश्री मोनिका सेलेस्टीना बालमूचु	30000 /—प्रतिमाह	

उक्त चयनित उम्मीदवारों को निदेशित किया जाता है कि दिनांक 17.08.2026 (सोमवार) को मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी छायाप्रति की अभिप्रमाणित प्रति के साथ सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय तथा निम्नांकित शर्तों के साथ योगदान की तिथि से संविदा/अस्थायी पद पर संलग्नीकरण किया जाता है:-

1. यह पूर्णतः संविदा/अस्थायी आधार पर, विभागीय अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से।
2. असंतोषजनक कार्य निष्पादन, निधि की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य प्रशासनिक कारण से संलग्नीकरण किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
3. आपका दैनिकी एवं मासिक कार्य-सम्पादन का सत्यापन उपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4. मानदेय के अलावे किसी प्रकार का कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।
5. अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत निवास एवं आवास का व्यवस्था स्वयं करेंगे।
6. उम्मीदवार नियमित नियुक्ति का कदापी दावा नहीं करेंगे।
7. उक्त संविदा कार्य नियोजना एक्सरसाईज के साथ कोटरमिन्स रहेगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।